छत्तीसगढ़
सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010

Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010

छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977

Chhattisgarh Work-charged and Contingency paid Employees Leave Rules, 1977

कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति अवधि तथा अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि का निराकरण संबंधी शासनादेशों सहित

C.S. GOVT. P. G. COLLEGE ...RI (C.G.)
No. 0606
Dt. ....

द्विभाषी संस्करण

संकलनकर्ता एवं लेखक

ए. एक्का

सेवानिवृत्त, अपर संचालक,
कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़

प्रकाशक :

राज लॉ पब्लिकेशन

शॉप नं. **F.F.-10/1**, प्रथम तल, श्याम प्लाजा, नया बस स्टेण्ड के सामने,
पण्डरी, रायपुर (छ.ग.) मो. : 9926974665, 7000752785

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010

शासनादेश

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ अवकाश नियम, 1977 के स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ (अवकाश) नियम, 2010 लागू करने का निर्णय लिया गया है। अवकाश नियम 2010 में अवकाश नियम 1977 के अप्रचलित एवं अनुपयोगी प्रावधानों को हटाकर नये शामिल प्रावधानों में उल्लेखनीय बिंदु निम्नानुसार हैं—

1. अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुए 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया गया है। यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-1/3/96/सी/चार, दिनांक 20-6-97 के प्रावधानों के तहत दिनांक 1-10-2010 की स्थिति में 1-7-2010 को अग्रिम जमा की गई कुछ अवकाश पृथक् से रखा गया है तो उक्त अवकाश को दिनांक 1-10-2010 को अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाएगा।

2. अवकाश नियम 1977 में भारत के अंदर अधिकतम 120 दिन तथा भारत के बाहर 240 दिन तक, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान था। उक्त प्रावधान के स्थान पर सभी प्रकरणों में, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 180 दिन निर्धारित किया गया है।

3. अवकाश नियम 1977 में अर्द्धवैतनिक अवकाश की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन निर्धारित थी। उक्त प्रावधान के स्थान पर अवकाश नियम 2010 में अर्जित अवकाश के समान ही वर्ष में दो बार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है। चूँकि अर्द्धवैतनिक अवकाश का अग्रिम जमा दिनांक 1-1-2011 से प्रारंभ होगा। अत: इसके में पूर्व जिस तिथि को अर्द्धवैतनिक खाते में पिछले पूर्ण वर्ष हेतु अवकाश जमा किया गया था, उस तिथि से दिनांक 31-12-2010 तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए डेढ़ दिन प्रति माह की दर से अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 01 जनवरी, 2011 को उसके खाते में जमा किया जायेगा। इसके पश्चात् उसी तिथि को नियमानुसार वर्ष 2011 के प्रथम अर्द्धवार्षिकी हेतु अर्द्धवैतनिक अवकाश अग्रिम जमा किया जाये।

4. मातृत्व अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को 90 दिवस से बढ़ाकर 135 दिवस किया गया है। यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा।

5. वर्तमान में पितृत्व अवकाश की सुविधा प्रथम बच्चे के लिये है, अब यह सुविधा द्वितीय बच्चे के लिए भी होगी।

6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ अवकाश नियम, 2010 में अवकाश लेखे के प्रपत्र में संशोधन किया गया है। अत: सभी कार्यालय प्रमुख उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को अवकाश लेखा दिनांक 01-01-2011 की स्थिति में पूर्व शेष को अंतरित करते संशोधित प्रपत्र में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वेबसाईट http://cgfinance.nic.in/ में 'Rules & Acts' खण्ड में उपलब्ध है।

[छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 307/10/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 1-10-2010]

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
NAAC GRADE-'B'
दूरभाष – 07722–237933
फैक्स – 07722–237933

क्रमांक / 670 / अवकाश / 2015 धमतरी, दिनांक 07 / 07 / 2015

:: आदेश ::

अवकाश नियम 2010 के नियम 27 के अनुसार ग्रीष्मावकाश 2015 में परीक्षा कार्य हेतु रोके गए अधिकारी / कर्मचारियों को निम्नानुसार आनुपातिक अर्जित अवकाश अर्जन स्वीकृत कर उनके अवकाश खाते में प्रविष्टि की अनुमति दी जाती है:–

सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय ध्दारा निम्नानुसार अवकाश घोषित किया गया था–

दशहरा अवकाश	–	02.10.2014 से 04.10.2014	–	03 दिन
दीपावली अवकाश	–	21.10.2014 से 25.10.2014	–	05 दिन
शीतकालीन अवकाश	–	24.12.2014 से 27.12.2014	–	04 दिन
ग्रीष्मकालीन अवकाश	–	16.05.2014 से 15.06.2015	–	30 दिन

क.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	रोके गये दिवस	कुल दिवस	अर्जित अवकाश
01	प्रो.सपन कुमार शाहा	सहा.प्राध्यापक	16.05.2015 से 15.06.2015	30	14 दिवस
02	डॉ.व्ही.के.पाठक	सहा.प्राध्यापक	16.05.2015 से 28.05.2015 व 08.06.2015 से 15.06.2015	20 दिन	10 दिवस
03	प्रो.पी.सी.चौधरी	सहा.प्राध्यापक	16.05.2015 से 15.06.2015	30 दिन	14 दिवस
04	श्री सी.एल.सालुंके	प्रयो.तकनीशियन	16.05.2015 से 15.06.2015	30 दिन	14 दिवस
05	श्री संजय राठौर	प्रयो.तकनीशियन	16.05.2015 से 15.06.2015	30 दिन	14 दिवस

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 671 / अवकाश / 2015 धमतरी, दिनांक 07 / 07 / 2015
प्रतिलिपिः–

01. संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को सूचनार्थ।
02. लेखा शाखा, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महाविद्यालय,धमतरी।

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. Coll
Dhamtari (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
NAAC GRADE-'B'
दूरभाष – 07722–237933
फैक्स – 07722–237933

क्रमांक/......213...../2016 धमतरी, दिनांक 13/05/2016

:: आदेश ::

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर व्दारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा–2016 (माह मई–जून 2016) एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य के सुचारू संचालन हेतु ग्रीष्मावकाश में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आदेश तक रोका जाता है, इन्हें अवकाश में रोके गए अवधि के लिए नियमानुसार आनुपातिक अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	डॉ.श्रीदेवी चौबे	प्राध्यापक, हिन्दी
2	प्रो.सपन कुमार शाहा	सहा.प्राध्यापक वाणिज्य
3	श्रीमती पी.वर्गीस	सहा.प्राध्यापक राजनीति
4	श्री एन.एस.देहारी	सहा.प्राध्यापक बॉटनी
5	श्री एस.के.राठौर	प्रयोगशाला तकनीशियन
6	श्री सी.एल.सांलुके	प्रयोगशाला तकनीशियन

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/...... 214/2016 धमतरी, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि:–

01. संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ व पालनार्थ।
02. मुख्य लिपिक/स्थापना शाखा, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महा.धमतरी।

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे) 13.05.16
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com

NAAC GRADE-'B'

दूरभाष – 07722–238933
फैक्स – 07722–237933

क्रमांक/ 245 /2019 धमतरी, दिनांक 15/05/2019

:: आदेश ::

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2019 एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य के सुचारू संचालन व लोकसभा निर्वाचन 2019 मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश में उनके नाम के समक्ष दिये गये तिथि तक रोका जाता है। इन्हें अवकाश में रोके गये अवधि के लिये नियमानुसार अनुपातिक अर्जित अवकाश की पात्रता होगी :-

क.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवकाश में रोके गये अवधि
1	डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे	प्राध्यापक	16.05.2019 से 04.06.2019
2	डॉ.(श्रीमती) अनिता राजपुरिया	प्राध्यापक	16.05.2019 से 20.05.2019
3	श्रीमती पी.वर्गीस	सहायक प्राध्यापक	16.05.2019 से 20.05.2019
4	श्री पी.सी.चौधरी	सहायक प्राध्यापक	16.05.2019 से 23.05.2019
5	डॉ.ए.एस.साहू	सहायक प्राध्यापक	16.05.2019 से 23.05.2019
6	श्रीमती ग्रेस कुजूर	सहायक प्राध्यापक	16.05.2019 से 04.06.2019
7	श्री पंकज जैन	सहायक प्राध्यापक	16.05.2019 से 20.05.2019
8	श्री सी.एल.सालुंके	प्रयोगशाला तकनीशियन	16.05.2019 से 20.05.2019
9	श्री संजय राठौर	प्रयोगशाला तकनीशियन	16.05.2019 से 04.06.2019

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला-धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/............/2019 धमतरी, दिनांक 15/05/2019
प्रतिलिपिः-

01. कलेक्टर जिला-धमतरी को सूचनार्थ।
02. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. रजिस्ट्रार, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महाविद्यालय, धमतरी को सूचनार्थ।
04. स्थापना/लेखा शाखा, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महाविद्यालय, धमतरी।
05. व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला-धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
NAAC GRADE-'B' | AISHE CODE- C-21763 | दूरभाष – 07722-236933
फैक्स – 07722-237933

क्रमांक / 2558 / अवकाश / 2020

धमतरी, दिनांक 18/05/2020

:: आदेश ::

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2020 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य के सुचारू संचालन हेतु ग्रीष्मावकाश में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी को आगामी आदेश तक रोका जाता है। इन्हें अवकाश में रोके गए अवधि के लिए नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी :–

01. डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे, सहायक समन्वयक (मूल्यांकन केन्द्र)
02. श्री संजय राठौर, लिपिक (मूल्यांकन केन्द्र)

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 2559 / अवकाश / 2020

धमतरी, दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपि:–

01. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ व पालनार्थ।
02. रजिस्ट्रार, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महाविद्यालय धमतरी।
03. मुख्य लिपिक, बी.सी.एस.शासकीय पी.जी.महाविद्यालय धमतरी।
04. स्थापना शाखा।

(डॉ.चन्द्रशेखर चौबे)
प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)